2009:CGHC:10968

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 342 / 1992

राम कुमार वर्मा

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

निर्णय हेतु सूचीबद्ध दिनांक — 24.08.2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

2009:CGHC:10968

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र. 342/1992

अपीलार्थी – राम कुमार वर्मा पुत्र राम विशाल वर्मा, आयु लगभग 45 वर्ष, पटवारी (निलंबित), निवासी ग्राम- घोरभट्टी, हल्का नं. 117, थाना- अरंग, जिला- रायपुर।

बनाम

प्रत्यर्थी – मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त कार्यालय, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर अपीलें)

(एकलपीठ: माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश)

उपस्थित :
श्री जनक राम वर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से।
श्री राजेंद्र त्रिपाठी, पैनल विद्वान अधिवक्ता, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

(24.08.2009)

2009:CGHC:10968

<u>न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश द्वारा पारित::</u>

1. इस अपील द्वारा अपीलार्थी ने दिनांक 28.02.1992 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्र. 5/86 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश की वैधता, विधिसंगतता एवं उचितता को चुनौती दी है। उक्त निर्णय द्वारा माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1947') की धारा 5(1)(d) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए, अपीलार्थी को प्रत्येक आरोप पर दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500/- का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतने हेतु दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी प्रकार के साक्ष्य **के** माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने उपर्युक्त रूप से अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया है और इस प्रकार गंभीर अवैधता की है।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलार्थी तत्कालीन समय में पटवारी था एवं वह एक लोक सेवक था। परिवादी रत्नू (अ.सा.-4) को ऋण पुस्तिका की आवश्यकता थी। उसने अपीलार्थी से सम्पर्क कर ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। अपीलार्थी ने इसके एवज में ₹700/- की रिश्वत माँगी। परिवादी रिश्वत देने के इच्छुक न होकर दिनांक 16.04.1985 को सतर्कता विभाग, रायपुर जाकर लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/1) प्रस्तुत की। लोकायुक्त मदन गोपाल (अ.सा.-1), पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना ने परिवाद की सत्यता संबंधी प्रारंभिक जाँच कर उप पुलिस

2009:CGHC:10968

अधीक्षक एस.एस. ठाकुर (अ.सा.-8) को छापामार कार्रवाई हेतु अधिकृत किया। दिनांक 16.04.1985 को उन्होंने स्वतंत्र गवाहों महबूब अली खान एवं मोतीलाल भारद्वाज को बुलाया और उन्होंने (अ.सा. 4) द्वारा दी गई शिकायत उन्हें सौंप दी । अन्वेषण अधिकारी ने परिवादी को ₹700/- प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। परिवादी ने ₹50/- के 14 नोट प्रस्तुत किए। नोटों के क्रमांक प्रारंभिक पंचनामा में अंकित किए गए। नोटों पर फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाया गया तथा तलाशी के बाद उन्हें कागज़ में लपेटकर परिवादी की जेब में रख दिया गया। सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉल्फ्थेलीन रसायन की अभिक्रिया प्रदर्शित की गई। परिवादी को निर्देशित किया गया कि माँग होने पर ही आरोपी को उक्त राशि दे और पूर्वनिर्धारित संकेत दे। प्रारंभिक पंचनामा (प्रदर्श पी/3) तैयार किया गया। तत्पश्चात् छापामार दल द्वारा घटना स्थल के लिए रवाना हुई और लगभग शाम 5 बजे छापामार दल गाँव औड़ादभारी पहुँची, जहाँ अपीलार्थी निवासरत था। परिवादी रत्नू (अ.सा.-4) आरोपी के घर पहुँचा, जहाँ आरोपी ने रिश्वत स्वरूप ₹700/- की माँग की। परिवादी ने ₹700/- आरोपी को दिए, जिसे आरोपी ने अपनी पैंट की जेब में रखकर पैंट को दीवार पर टाँग दिया। संकेत मिलने पर छापामार दल ने आरोपी के घर प्रवेश कर अपना परिचय दिया तथा जाँच प्रारंभ की। आरोपी के हाथ सोडियम कार्बोनेट घोल से धुलवाए गए, जो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गए। उक्त घोल को सील कर जब्त किया गया। आरोपी की पैंट से ₹50/- के 14 नोट, कुल ₹700/-, जप्ती पत्र (प्रदर्श पी/4) में जब्त किए गए, जिनके क्रमांक प्रारंभिक पंचनामा (प्रदर्श पी/3) से मिलाए गए और अंकित किए गए। आरोपी की पैंट भी प्रदर्श पी/5 में जब्त की गई। परिवादी से राजस्व दस्तावेज (फॉर्म बी-1) प्रदर्श पी/6 में जब्त किया गया तथा आरोपी से परिवादी संबंधी राजस्व अभिलेख प्रदर्श पी/7 में जब्त किए गए पैंट की जेब एवं नोटों को सोडियम कार्बोनेट घोल से धुलवाया गया, जो गुलाबी रंग में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:10968

परिवर्तित हुआ। उसे भी सील कर जब्त किया गया। अंतिम पंचनामा (प्रदर्श पी/9) तैयार किया गया। देहाती नालिशी (प्रदर्श पी/10) मौके पर दर्ज की गई। जब्तशुदा वस्तुएँ रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रेषित की गईं। फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर की रिपोर्ट (प्रदर्श पी/11 एवं प्रदर्श पी/11-अ) से यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी की जेब एवं हाथ धोने के घोल में सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉल्फ्थेलीन की उपस्थिति है। अंततः प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/12) दर्ज की गई।

4. गवाहों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए तथा अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अभिलेख प्रेषित किए गए। विचार - विमर्श कर सक्षम प्राधिकारी ने आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध के अभियोजन हेतु स्वीकृति (प्रदर्श पी/2) प्रदान की। अन्वेषण पूर्ण होने उपरान्त विशेष न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्त/अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष ने कुल 08 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों का खण्डन करते हुए निर्दोषता एवं झूठा फँसाए जाने का निवेदन किया। अभियुक्त ने यह विशेष प्रतिरक्षा ली कि उसने परिवादी से न तो कोई रिश्वत माँगी और न ही स्वीकार की है। उसे प्रश्नाधीन प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उससे कोई धनराशि बरामद नहीं हुई है, अपितु परिवादी द्वारा उसकी पतलून में रुपये रखकर झूठी बरामदगी दर्शाई गई है। अभियुक्त ने अपनी ओर से बचाव साक्ष्य में रामप्यारे ठाकुर (ब.सा.-1), प्यारे लाल (ब.सा.-2) एवं नियाजुद्दीन (ब.सा.-3) का प्रति - परीक्षण किया, जिन्होंने यह कथन किया कि याकूब अली एवं बब्बू की भूमि संबंधी छत (ceiling) का विवाद लंबित था। भूमि के माप-जोख के समय बब्बू ने अभियुक्त को

गाली-गलौज दी थी और गन्दी भाषा का प्रयोग किया, और बब्बू के कहने पर ही अपीलार्थी को इस अपराध में झूठा फँसाया गया है।

6. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, अपीलार्थी को उपर्युक्त कथित अपराध हेतु दोषसिद्ध कर दण्डादेश पारित किया।

7. मैंने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जे.आर. वर्मा तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी की दलीलों को सुना एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना के समय अपीलार्थी एक लोक सेवक था तथा उसने न तो 16.04.1985 से पूर्व और न ही 16.04.1985 को परिवादी से क़ानूनी पारिश्रमिक के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य पारितोषिक माँग नहीं माँगा था। परिवादी के संबंध में उसके समक्ष कोई कार्य लंबित नहीं था। परिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और कलेक्टर की अनुमति के बिना वह अपनी भूमि किसी अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने के लिए सक्षम नहीं था। ऐसी स्थिति में परिवादी से अवैध पारितोषिक माँगने का कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं होता। अपीलार्थी के विद्वान विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि परिवादी रत्नू (अ.सा.-4) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अभियुक्त ने उससे कोई धनराशि नहीं माँगी। उसने यह भी कहा कि अभियुक्त को उसने किसी भी प्रकार का पारितोषिक नहीं दिया, बल्कि बाब्बू के कहने पर वह रायपुर गया जहाँ बाब्बू ने अभियुक्त के विरुद्ध कुछ दस्तावेज एवं आवेदन तैयार कर उसके अंगूठे का निशान लिया और तत्पश्चात उसे अन्य कार्यालय ले गया। बाब्बू और अन्य अधिकारियों के कहने पर वह वर्तमान अभियुक्त के घर गया जहाँ उसने एक कागज अभियुक्त की पैंट, जो दीवार पर टंगी हुई थी, की जेब में डाल दिया, परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस कागज में क्या था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:10968

यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि कथित छापे के समय अभियुक्त ने कोई धनराशि प्राप्त नहीं की थी।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य,** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त का प्रतिरक्षा पक्ष अधिक संभावित प्रतीत होता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के विद्वान् विद्वान अधिवक्ता ने इसके अलावा **टी. सुब्रमणियन बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया है , जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त द्वारा यह युक्तिसंगत एवं संभाव्य स्पष्टीकरण साक्ष्यों के आधार पर

10. 1.(2005) 6 SCC 211

11. 2.(2006) 1 SCC 401

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत किया जाता है कि उससे प्राप्त धनराशि अवैध पारितोषिक के रूप में नहीं, बल्कि अन्य रूप में ली गई थी, तो अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का हक़दार होगा है।

10. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा यह

तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी, जो उस समय लोक सेवक था, ने विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त ₹700/- की अवैध पारितोषिक की माँग की एवं उसे स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त हैं।

11. पक्षकारों के तर्कों की विवेचन करने हेतु, मैंने अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया है। घटना के दिन अभियुक्त लोक सेवक था और अभियुक्त के विरुद्ध

2009:CGHC:10968

अभियोजन की स्वीकृति तत्कालीन विशेष सचिव, राजस्व श्री एस.आर. मिश्रा (अ.सा.-2) द्वारा दिनांक 28.4.1986 को विचारोपरान्त प्रदान की गई थी, जो कि अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(d) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत किसी लोक सेवक के अभियोजन हेतु अनिवार्य शर्त है। इस तथ्य को अपीलार्थी ने विवादित नहीं किया है, अपितु उक्त तथ्य तत्कालीन सचिव श्री एस.आर. मिश्रा (अ.सा.-2) द्वारा भी सिद्ध किया गया है।

12. जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा अवैध पारिश्रमिक के रूप में, अवैध परितोषण से भिन्न धनराशि की माँग एवं स्वीकृति का प्रश्न है, प्रकरण के निर्विवाद तथ्यों के अनुसार, ₹700/- की राशि, जिस पर फिनॉलफ्थलीन पाउडर लगाया गया था, अभियुक्त/अपीलार्थी की माँग पर उसे देने हेतु ट्रैप दल द्वारा परिवादी की जेब में रखी गई थी। प्रारंभिक पंचनामा (प्रदर्श पी/3) में दर्ज नोटों के क्रमांक, अभियुक्त की पैंट (जो अपीलकर्ता के कमरे की दीवार पर लटकी हुई थी) से प्राप्त किए गए थे, इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है, अपितु यह तथ्य स्वतंत्र पंच साक्षी अब्दुल हई खान (अ.सा.-3), परिवादी रत्नू (अ.सा.-4), पंच गवाह मोतीराम भारद्वाज (अ.सा.-7), छापामार दल लगाने वाले अधिकारी एस.एस. ठाकुर (अ.सा.-8) तथा स्वयं अभियुक्त की बचाव पक्ष से भी सिद्ध होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहाँ तक धनराशि के अवैध पारिश्रमिक स्वरूप माँग एवं प्राप्ति का प्रश्न है, अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए गए परिवादी रत्नू (अ.सा.-4) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। उसने अपीलार्थी के विरुद्ध छापामार दल गठित करने तथा छापा की कार्यवाही की गई प्रारंभिक माँग के संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। परिवादी रत्नू (अ.सा.-4) ने यह कहा कि बाब्बू के कहने पर वह किसी कार्यालय गया जहाँ बाब्बू ने अपीलार्थी के विरुद्ध एक आवेदन (प्रदर्श पी/1) तैयार किया, तत्पश्चात वे अन्य कार्यालय गए और वहाँ से अपीलार्थी के गाँव पहुँचे। जब वह अन्य कार्यालय गया तब

2009:CGHC:10968

उसके पास ₹700/- थे, जो उसने बाब्बू को दे दिए। वे लोग लखौली विश्रामगृह गए और वहाँ से गाँव औरादभरी पहुँचे, जहाँ वह अपीलार्थी के घर गया। अधिकारियों ने उसे निर्देश दिया कि आरोपी को कोई कागज़ दे, किन्तु उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस कागज़ में क्या रखा हुआ था। उसने अपीलार्थी के घर प्रवेश कर दीवार पर लटकी पैंट की जेब में वह कागज़ डाल दिया, तत्पश्चात अधिकारीगण पहुँचे और अपीलार्थी को पकड़ लिया तथा दस्तावेज़ तैयार किए। अभियोजन ने परिवादी से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया। अपनी प्रति – परीक्षण के पैरा-11 में उसने गवाही दी कि बाब्बू ने उसे निर्देश दिया था कि कागज़ आरोपी को दे दे और यदि वह न ले तो उसकी पैंट में डाल दे। वह आरोपी के घर गया और पानी माँगा। जब आरोपी ने उसे अंदर कमरे में जाकर पानी लेने के लिए कहा तब वह अंदर गया और दीवार पर टंगी पैंट की जेब में कागज़ डाल दिया। अपने विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया, यद्यपि वह दो पंचगवाहों अर्थात् अब्दुल हई खान (अ.सा.-3), तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर, एवं मोतीराम भारद्वाज (अ.सा.-7), सहायक भूमि मापन अधिकारी, तथा छापामार दल के वाले अधिकारी एस.एस. ठाकुर (अ.सा.-8) के साथ गया था, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि परिवादी के आवेदन (प्रदर्श पी/1) की सत्यता से संतुष्ट होने के उपरान्त उन्होंने छापामार दल गठित की और प्रारंभिक कार्यवाही दर्ज की। मुद्रा नोटों के क्रमांक दर्ज कर उन पर फिनॉलफ्थलीन पाउडर लगाया गया और परिवादी की जेब में रख दिए गए। वे लोग औराडभरी गाँव गए जहाँ आरोपी निवास करता था। उन्होंने आरोपी को पकड़ा। उसके हाथों को सोडियम कार्बोनेट घोल से धोया गया जो गुलाबी रंग का हो गया। ₹700/- के रंगीन नोट आरोपी की दीवार पर लटकी पैंट की जेब से बरामद किए गए। इन गवाहों के कथन परिवादी के कथनों के पुष्टिकरण हेतु विचार - विमर्शणीय हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:10968

14. प्रारंभिक माँग से संबंधित किसी भी साक्ष्य के अभाव में यह कहना कठिन है कि आरोपी ने प्रारंभ में धन की माँग की थी, किन्तु मात्र इस आधार पर अभियोजन के सम्पूर्ण कथन अथवा मामले को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। यदि घटना-स्थल पर धन माँगने से संबंधित साक्ष्य, परिवादी के कथन के अभाव में भी, सिद्ध पाया जाता है तो यह इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त होगा कि आरोपी ने विधि सम्मत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध पारिश्रमिक की माँग एवं स्वीकृति की थी।

15. अब्दुल हई खान (अ.सा.-3) के अनुसार, वे लोग कुछ झाड़ियों के पीछे छिप गए थे और परिवादी अकेला ही आरोपी के घर गया। वह आरोपी के घर के भीतर गया और कुछ समय बाद बाहर निकलकर संकेत दिया, तब वे लोग तत्काल आरोपी के घर की ओर दौड़े और आरोपी के हाथ पकड़ लिए। परिवादी ने उन्हें बताया कि आरोपी ने पैसे अपनी जेब में रख लिए हैं। तत्पश्चात् उन्होंने बरामदगी, हाथ धोने और मुद्रा की बरामदगी की कार्यवाही की। अपनी प्रति - परीक्षण में उन्होंने विशेष रूप से पैरा-8 में स्वीकार किया कि वे स्वयं आरोपी के घर से 150 से 200 फीट की दूरी पर छिपे थे। उन्होंने यह बयान नहीं दिया कि उन्होंने धन देने-लेने की घटना देखी थी। मोतीराम भारद्वाज (अ.सा.-7), अन्य पंच गवाह ने भी अपने बयान के पैरा-4 में कहा कि वह स्वयं छापामार दल वाले अधिकारी ठाकुर तथा अन्य गवाहों के साथ कमरे के पास ठहरे थे। परिवादी अकेला ही आरोपी के घर गया और आधे घंटे बाद बाहर आकर संकेत दिया, तब वे लोग घटनास्थल पर पहुँचे। छापामार दल वाले अधिकारी एस.एस. ठाकुर (अ.सा.-8), जिन्होंने छापा संचालित किया था, ने पैरा-6 में कहा कि उन्होंने परिवादी को आरोपी के घर भेजा और वे लोग उसके पीछे-पीछे गए। प्रति - परीक्षण के पैरा-15 में उन्होंने स्वीकार किया कि वे आरोपी के घर से 80 गज की दूरी पर खड़े थे। आरोपी बनियान और धोती पहने हुए था। पैरा-13 की प्रति - परीक्षण में उन्होंने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:10968

यह भी स्वीकार किया कि वे बब्बू मुंशी को जानते थे, जो उनका सहपाठी था, किन्तु वे यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि जब छापा की तैयारी की जा रही थी तो बब्बू उनके साथ था या नहीं। इन गवाहों के कथन से यह स्पष्ट है कि परिवादी को छोड़कर कोई भी गवाह आरोपी के घर के निकट अथवा समीप दूरी पर उपस्थित नहीं था और उन्होंने धन माँगने एवं देने-लेने की घटना नहीं देखी थी। संकेत मिलने के बाद वे लोग दौड़े और आरोपी के घर में प्रविष्ट हुए, उस समय आरोपी बनियान और धोती पहने हुए था। जब उसके हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोया गया तो घोल गुलाबी रंग का हो गया। पैसे आरोपी के कमरे के भीतर दीवार पर टंगी फुलपैंट की जेब से बरामद किए गए। अवैध पारिश्रमिक की माँग तथा देने-लेने की घटना सिद्ध करने हेतु मात्र परिवादी रत्नू ही शेष रहता है, जिसने अभियोजन के समर्थन में कुछ भी बयान नहीं दिया। इसके विपरीत, उसने विशेष रूप से यह कहा कि आरोपी की जानकारी के बिना उसने कागज को आरोपी की दीवार पर टंगी पैंट की जेब में रख दिया और संकेत दिया। वह बब्बू के निर्देश पर कार्य कर रहा था, जो छापा मारने वाले अधिकारी का सहपाठी था, परंतु यह कहने की स्थिति में नहीं था कि छापा की प्रारंभिक तैयारी या छापे के समय बब्बू वहाँ उपस्थित था या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अभियुक्त के विरुद्ध एकमात्र सामग्री उसके हाथ धोने का परिणाम है, जिससे यह तथ्य उपस्थित होता है कि अभियुक्त के हाथों में फिनाफ्थलीन पाउडर की उपस्थिति थी, जिसे रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर ने अपनी प्रतिवेदन (प्रदर्श पी /11 एवं पी /11-A) द्वारा पुष्टि की है। परन्तु अवैध पारिश्रमिक की माँग एवं स्वीकार किए जाने के साक्ष्य के अभाव में यह कहना कठिन है कि वर्तमान अभियुक्त ने विधि द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवैध पारिश्रमिक प्रेरणा अथवा इनामस्वरूप माँगा और स्वीकार किया। पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्त के हाथ पकड़ लिए थे और जब उन्हें सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोया गया तो वह गुलाबी रंग का हो गया, जिससे यह

2009:CGHC:10968

सिद्ध होता है कि अभियुक्त के हाथों में फिनाफ्थलीन पाउडर की उपस्थिति थी तथा रँगे हुए नोटों का उपयोग हुआ था। प्रारम्भिक पंचनामा (प्रदर्श पी/3) से यह तथ्य उपस्थित होता है कि 14 नोटों को फिनाफ्थलीन पाउडर से रंगा गया था और अभियुक्त की जेब की बारीकी से तलाशी लेने के बाद नोटों को एक साधारण कागज में रखकर परिवादी की शर्ट की बाईं ओर की जेब में रखा गया था। इसी तथ्य का समर्थन मोतीराम भारद्वाज (अ.सा.-7) ने अपने साक्ष्य के पैरा-3 में किया है कि नोटों को सफेद कागज में रखकर परिवादी की शर्ट की जेब में रखा गया। छापामार वाले अधिकारी एस.एस. ठाकुर (अ.सा.-8) ने भी अपने साक्ष्य के पैरा-4 में यह कहा कि मुद्रा नोटों को एक कागज में रखकर अंततः परिवादी की शर्ट की जेब में रखा गया। प्रदर्श पी/3 में नोटों को कागज में रखने के संबंध में जो कथन अंकित है, वह इस प्रकार है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "उपरोक्त नोटों मे आरक्षक ड्राइवर कृष्णपाल सिंह के द्वारा फिनाफथलीन पाउडर बनवाया गया प्रार्थी की तलाशी ली गई उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई उपरोक्त नोटों को एक सादे कागज में रखकर प्रार्थी के पहने हुए चैक बुश शर्ट के जिसके बायी ओर एक पाकेट उपर मे है रखाया गया। प्रार्थी को हिदायत की गई कि अभियुक्त के मांगने पर ही नोटों को कागज से निकालकर उसे देवे।"

यदि अभियुक्त के हाथ धोने के घोल में फिनाफ्थलीन पाउडर की उपस्थिति को ध्यान में रखा भी जाए, तो भी यह तथ्य अकेले ही 700/- रुपये की मुद्रा नोटों की माँग एवं स्वीकार किए जाने को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

17. अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह आरोप के तत्वों को संदेह की समस्त संभावनाओं से परे ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करे। वर्तमान प्रकरण में

2009:CGHC:10968

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि छापा मारने वाले अधिकारी ने परिवादी के साथ किसी छाया गवाह (shadow witness) को इस उद्देश्य से नहीं भेजा कि वह परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य हुई गतिविधियों एवं घटनाओं को देखे और परखे। छापा/छापे की समस्त टीम, परिवादी और अभियुक्त के बीच बातचीत एवं मुद्रा नोटों की माँग और स्वीकार करने से संबंधित सभी घटनाओं के समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त के घर पहुँची। उन्होंने धनराशि की माँग एवं स्वीकार करने की किसी भी घटना को प्रत्यक्षतः नहीं देखा। परिवादी का एकमात्र साक्ष्य यह उपस्थित करता है कि उसने स्वयं अभियुक्त की जानकारी के बिना एक कागज अभियुक्त की पैंट की जेब में डाल दिया था, जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त ने परिवादी से किसी प्रकार का अवैध पारिश्रमिक प्रेरणा या इनामस्वरूप माँगा और स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. माननीय विशेष न्यायाधीश ने अब्दुल हई ख़ान (अ.सा.-3), मोतीलाल भारद्वाज (अ.सा.-7), एस.एस. ठाकुर (अ.सा.-8) तथा परिवादी रत्नू (अ.सा.-4) के कथनों पर विचार - विमर्श नहीं किया और इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि अभियोजन ने संदेह की समस्त संभावनाओं से परे अपना प्रकरण सिद्ध कर दिया है, किन्तु परिवादी के पक्षद्रोही (hostile) हो जाने की स्थिति में उन्होंने पंच साक्षियों, छापा मारने वाले अधिकारी एवं परिवादी के साक्ष्यों की सूक्ष्म जाँच नहीं की। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अवैध पारिश्रमिक की मांग एवं स्वीकृति संबंधी जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, वे अभियुक्त के विरुद्ध अवैध पारिश्रमिक की माँग और स्वीकृति सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

19. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंगा (उपरोक्त) प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियुक्त का बचाव पक्ष (defence) अधिक संभाव्य एवं युक्तिसंगत प्रतीत हो तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अभियुक्त का यह बचाव कि उसे बब्बू के इशारे पर झूठा फँसाया गया है, अधिक संभाव्य प्रतीत होता है।

2009:CGHC:10968

20. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी का दोषसिद्धि एवं दण्डादेश, जो अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(d) सहपठित धारा 5(2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु दिया गया है, रखने योग्य नहीं है।

21. पूर्वगामी कारणों से, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और ये अपील स्वीकार किया जाता है। अधिनियम, 1947 की धारा 5 (i) (d) सहपठित धारा 5(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को अधिनियम, 1947 की धारा 5 (i) (d) सहपठित धारा 5(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसकी बन्ध-पत्र को निरस्त किया जाता है और उसे न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जुर्माना राशि जमा की गई है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

2009:CGHC:10968

Translated By Abhishek Banjare, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur